

उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-14/2017/613/37-1-2017-08(113/97टी0सी0-2

लखनऊ: दिनांक 20 जून, 2017

कार्यालय-आदेश

उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग अधिनियम, 1999 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत एतद्वारा श्री राजीव गुप्ता, आई0ए0एस0 (सेवानिवृत्त), निवासी- ए0बी0-87, शाहजहां रोड, नई दिल्ली- 110011 को तात्कालिक प्रभाव से उ0प्र0 गो सेवा आयोग का सदस्य एवं अध्यक्ष नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री राजीव गुप्ता अधिनियम की धारा-5(1) के अधीन इंगित अवधि (01 वर्ष) हेतु राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे व उन्हें अधिनियम की धारा-5(2) के अधीन गैर सरकारी सदस्य, अध्यक्ष के रूप में विहित भत्ते भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,  
प्रमुख सचिव

संख्या - 14/2017/613(1)/37-1-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- श्री राजीव गुप्ता, सेवानिवृत्त आई0ए0एस0, निवासी- ए0बी0-87, शाहजहां रोड, नई दिल्ली- 110011
- 2- मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
- 3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
- 5- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0शासन।
- 6- सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
- 7- निजी सचिव, मा0 पशुधन मंत्री को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 8- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, पशुधन मंत्री को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 9- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 10- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 11- सचिव, गोसेवा आयोग, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 12- गोपन अनुभाग, 1/इरला चेक अनुभाग।
- 13- पशुधन अनुभाग- 2/3
- 14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)  
प्रमुख सचिव

<http://shasanadesh.up.nic.in>

<http://shasanadesh.up.nic.in>